न्यायालय–संतोष तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा, जिला–उज्जैन (म.प्र.)

RCT-559/2022
Filling No-1440/2022
CNR-MP1308001724-2022
Filing Date-12-10-2022

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र
नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) .... **अभियोजन**

// वि रु द्ध //

रामू पिता नागूराम धाकड़ उम्र 38 वर्ष,
निवासी ग्राम बेरछा थाना नागदा,
तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.)

.... **अभियुक्त**

// उपार्पण–आदेश //

(आज दिनांक–19/12/2022 को पारित)

क0	**मामले का विवरण**	
1.	पुलिस थाना	नागदा
2.	अपराध क्रमांक	353/2022
3.	धारा	435 भा.दं.सं.
4.	आरोपी की गिरफ्तारी दिनांक	धारा 41–क द.प्र.सं. के सूचना पत्र के पालन में उपस्थित।
5.	आरोपी का न्यायालय में प्रस्तुति दि.	12.10.2022
6.	निरोध/जमानत	आरोपी जमानत पर है।

1. इस आदेश से अभियुक्त के विरुद्ध थाना नागदा के अपराध क्र. 353/2022 अंतर्गत धारा 435 भारतीय दण्ड संहिता एक्ट के अंतर्गत यह अभियोग पत्र धारा 209 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत उपार्पित किया जा रहा है।

2. प्रकरण में यह अविवादित तथ्य है कि आरोपी जमानत पर है।

3. अभियुक्त के विरूद्ध धारा–435 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध अभियोग है जो अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामला अग्रिम कार्यवाही/विचारण हेतु माननीय अभिषेक सक्सेना अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, नागदा, जिला उज्जैन की ओर उपार्पित किया जाता है।

4. उपार्पण की सूचना माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, नागदा, जिला उज्जैन, लोक अभियोजक नागदा, नायब नाजिर नागदा, थाना प्रभारी, थाना नागदा जिला उज्जैन को भेजी जावे।

5. थाना प्रभारी, पुलिस थाना नागदा/नायब नाजिर नागदा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्तशुदा मुद्देमाल मालखाना सम्पत्ति पर्चा सहित आगामी नियत **दिनांक 06/01/2023** पर प्रातः 11:00 ए.एम. माननीय अभिषेक सक्सेना अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, नागदा जिला उज्जैन के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत करें।

6. आरोपी जमानत पर हैं। अतः उसे निर्देशित किया जाता है कि माननीय अभिषेक सक्सेना अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) में अपने अधिवक्ता सहित **दिनांक 06/01/2023** को प्रातः 11:00 ए.एम. पर उपस्थित रहे।

7. प्रकरण विधिवत् तैयार किया जाकर मय केस डायरी सम्बन्धित न्यायालय में भेजा जावे। आदेश को विधिवत सी0आई0एस0 में अपलोड किया जाये।

स्थान–नागदा
दिनांकः–19.12.2022

मेरे उद्बोधन पर लिखा गया।

सही/–
(संतोष तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागदा
जिला उज्जैन म0प्र0